भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 911
जिसका उत्तर शुक्रवार, 26 जुलाई, 2024 को दिया जाना है

न्यायालयों में लंबित मामले

911. श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में लगभग 50 मिलियन दीवानी और फौजदारी मामले लंबित हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा लंबित मामलों को निपटाने और आम आदमी को न्याय दिलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(ग) 30 जून, 2024 की स्थिति के अनुसार देश के उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में ऐसे कितने मामले लंबित हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : जी, हां । न्यायालयों में लंबित मामलों का समाधान न्यायपालिका के अनन्य अधिकार क्षेत्र में आता है । तथापि, केन्द्रीय सरकार न्यायपालिका द्वारा मामलों के शीघ्र निपटान के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र की सुविधा प्रदान करने और संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन अनिवार्य रूप से लंबित मामलों को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है । इस उद्देश्य के लिए, सरकार ने 2011 में राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन की स्थापना की, जिसके दो उद्देश्य थे-प्रणाली में देरी और बकाया को कम करके पहुंच बढ़ाना और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जवाबदेही बढ़ाना और निष्पादन मानकों और क्षमताओं को निर्धारित करना । मिशन न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध परिसमापन के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपना रहा है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना शामिल है, जिसमें कंप्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका में पदों में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय, मामलों के त्वरित निपटान के लिए न्यायालय प्रक्रिया की पुन: इंजीनियरी और मानव संसाधन विकास पर जोर देना शामिल है ।

(ग) : राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, तारीख 30 जून 2024 तक उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या निम्नानुसार है: -

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	लंबित मामलों की संख्या
1.	उच्चतम न्यायालय	84,306
2.	उच्च न्यायालय	61,58,665

****